उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 04 /2026/ भा0स0-02/एक-1-2026-33-1099/99/2024

लखनऊ: दिनॉक: 06 मार्च, 2026

अधिसूचना

चूंकि ग्राम हाजीपुर का नाम परिवर्तित करके सियारामपुर किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के पत्र संख्या-1038/xx-जे0ए0-नाम परिवर्तन/2025, दिनांक-21.05.2025, द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या-3917/9-56(2023-24), दिनांक-21.06.2025 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-870/9-91/2024, दिनांक-15.07.2025 द्वारा संस्तुत किया गया है और भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है;

2. और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/75/2025-एम एण्ड जी, दिनांक-30.12.2025 द्वारा जिला हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अधीन स्थित ग्राम **'हाजीपुर बसाहिया'** का नाम परिवर्तित कर **'सियारामपुर'** किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है;

3. अतएव अब, जिला मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव और मण्डलायुक्त लखनऊ तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की संस्तुति के अनुक्रम में एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनांक-11-09-1953 एवं पत्र संख्या-11/75/2025-एम एण्ड जी, दिनांक-30.12.2025 में विनिर्दिष्ट निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त ग्राम "हाजीपुर" का नाम परिवर्तन करके "सियारामपुर" करते हैं।

4. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
हाजीपुर	सियारामपुर

आज्ञा से,

अपर्णा यू0

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In Pursuance of the provision of clause (3) Of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2026/Bha0Sa0-02/I-1-2026-33-1099/99/2024, dated 06 March, 2026 for general information.

Notification

No. 04 /2026/Bha0Sa0-02/I-1-2026-33-1099/99/2024

Lucknow: Dated: 06 March, 2026

WHEREAS it has been proposed by District Magistrate, Hardoi vide letter no. 1038/xx-J0A0-Naam Parivartan/2025, dated 21-05-2025 and recommended by Commissioner Lucknow Mandal, Lucknow vide letter no. 3917/9-56(2023-24), dated 21-06-2025 and Commissioner and Secretary of Board of Revenue letter no. 870/9-91/2024, dated 15-07-2025 to change the name of village Hajipur to Siyarampur and the Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said village.

2. AND WHEREAS the Government of India has given the No Objection Certificate in respect of the changing the name of village Hajipur Basahiya to Siyarampur which is situated under Development Block Bharavan of District Hardoi vide their letter no. 11/75/2025-M&G, dated 30-12-2025.

3. NOW THEREFORE, in continuation of the proposal of the District Magistrate, Hardoi and with the approval of the Commissioner, Lucknow Division and the Commissioner and Secretary, Board of Revenue and in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) and in pursuance of the direction of Ministry of Home Affairs, Government of India specified in letter no. 130/53-public, dated 11-09-1953 and letter no. 11/75/2025-M&G, dated 30-12-2025, the Governor is pleased to alter the name of the said village "Hajipur" to "Siyarampur" as mentioned in the schedule below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

4. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the revenue village.

SCHEDULE

Present name of the revenue village	Changed name of the revenue village
Hajipur	Siyarampur

By order,
Aparna U.
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।